BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I.A. No. 122 of 2025
IN
O.A. No. 1141 of 2024

IN THE MATTER OF:

1. AMRESH SINGH

…Applicant

Versus

1. SECRETARY MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
2. DISTRICT MAGISTRATE, SANT KABIR NAGAR
3. UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
4. CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
5. M/S MEDICAL POLLUTION CONTROL COMMITTEE

…Respondents

REPLY ON BEHALF OF THE APPLICANT IN THE VIEW OF ORDER DATED 03.07.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL | (NdoH: 03/09/2025)

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit	1 - 2
2.	Reply on Behalf of the Applicant, Amresh Singh	3 - 7

Amresh Singh

S. No.	Particulars	Page No.
3.	**Annexure A-1:** A True copy of the UPPCB Regional Officer Report showing the capacity expansion.	8 - 11
4.	**Annexure A-2:** True copy of the land possession letter issued to M/s Rani Sati Food Products by UPSIDC on 31.07.2006 for Plot No. D-33, UPSIDC Khalilabad.	12
5.	**Annexure A-3:** True copy of the transfer letter issued by UPSIDC to Mr. Vinay Kumar Verma (Prop.) on 04.08.2008, with the condition for a fresh lease deed.	13 - 14
6.	**Annexure A-4:** True copy of the NOC granted to M/s SNG Mercantile Pvt. Ltd. for the setup of a CBWTF Plant on 22.02.2008, with conditions.	15 - 18
7.	**Annexure A-5:** True Copy of the RO Letter Regarding the Illegal Waste Dumping	19 - 22
8.	**Annexure A-6:** True copy of the EC application status for M/s MPCC (File No. - SIA/UP/INFRA 2/426954/2023).	23

Applicant

Date: 29-08-2025

Place: Lucknow

Amresh Singh

Amresh Singh
S/o Indresh Bahadur Singh
Vill – Kusmaur, Post – Gandhi Nagar,
Amhut, Basti, Uttar Pradesh-272001
Mob : 9554394196 | Adhaar No – 729008323266

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP16619262118999X

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP16619262118999X
Certificate Issued Date	:	29-Aug-2025 01:16 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up15114004/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1511400430721489223652X
Purchased by	:	AMRESH SINGH
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	AMRESH SINGH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	AMRESH SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

₹100

SARITA DWIVEDI (STAMP VENDER) Lic No. 826/2024 ACC Code 15114004 LUCKNOW

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY VIJAY KUMAR DWIVEDI, ADV. LUCKNOW U.P. INDIA GOVT. OF INDIA

IN-UP16619262118999X

Please write or type below this line

NOTARY GOVT. OF (INDIA)

AMRESH Singh

SWORN & VERIFIED BEFORE ME
Dt. 29/8/25
Sign
VIJAY KUMAR DWIVEDI
Advocate & Notary
Regn. 22366 Govt. of India

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I.A. No. 122 OF 2025
IN
O.A. NO. 1141 OF 2024

IN THE MATTER OF:

1. AMRESH SINGH

…Applicant

Versus

1. SECRETARY MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE & Ors……

…Respondents

REPLY ON BEHALF OF THE APPLICANT IN THE VIEW OF ORDER DATED 03.07.2025 PASSED BY THE HON'BLE TRIBUNAL

I, Amresh Singh, S/o Indresh Bahadur Singh aged about 30 residing at Vill – Kusmaur, Post – Gandhi Nagar, Amhut, Basti, Uttar Pradesh-272001 do hereby and solemnly declare as under:

1. That I am the applicant in the present Original Application and as such is well conversant with the facts and circumstances of the present Original Application.

2. That vide its Order dated: 19/11/2024, Hon'ble NGT in O.A. No. 1141/2024 took note of complaint sent by applicant (registered as Suo-moto) on dated: 17/01/2024 for non-compliances & violation done by CBWTF unit at Khalilabad, Sant Kabir Nagar.

3. That the submitted additional documents and facts and latest finding about the case in the current IA are true of my best knowledge about the Non-compliance & violation done by CBWTF unit at Khalilabad, Sant Kabir Nagar before Hon'ble NGT for kind consideration and action.

AMRESH Singh

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Basti on this 29 day of August 2025 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

SWORN & VERIFIED BEFORE ME
29/8/G
Sign
VIJAY KUMAR DWIVEDI
Advocate & Notary
Regn 22366 Govt of India

AMRESH Singh

DEPONENT

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I.A. No. 122 of 2025

IN

O.A. No. 1141 of 2024

IN THE MATTER OF:

Amresh Singh

…Applicant

Versus

Secretary Ministry Of Environment, Forest And Climate Chang & Ors…

... Respondents

REPLY ON BEHALF OF THE APPLICANT IN THE VIEW OF ORDER DATED 03.07.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL (NdoH: 03/09/2025)

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:

I, Amresh Singh, son of Sri Indresh Bahadur Singh, resident of Amhut Basti, the applicant in the aforementioned case, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am the original applicant in the present case and am fully conversant with the facts and circumstances of the matter.
2. That this reply is being filed in response to the affidavit submitted by the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Respondent No. 3 & Medical Pollution Control Committee (MPCC), Respondent No. 5.
3. In The View Of Order Dated 03.07.2025 Passed By This Hon'ble Tribunal.
4. That the UPPCB has failed to disclose material facts and has presented a misleading account to this Hon'ble Tribunal.

AMRESH Singh

I. HISTORY OF NON-COMPLIANCE BY M/S MEDICAL POLLUTION CONTROL COMMITTEE (MPCC):

It is submitted that M/s Medical Pollution Control Committee (MPCC) has a history of non-compliance and has been operating in a manner that is detrimental to the environment from its very inception. The current violations are not isolated incidents but part of a consistent pattern of disregard for environmental laws.

- **Previous Show Cause Notice:** The MPCC has previously been issued a Show Cause Notice on 11.09.2023, which indicates past operational deficiencies and violations that required regulatory intervention.
- **Expansion without Environmental Clearance:** A complaint was filed on 19.11.2024, alleging that the MPCC had illegally expanded its Common Bio-Medical Waste Treatment Facility (CBWTF) at Khalilabad, Sant Kabir Nagar, without obtaining the mandatory Environmental Clearance (EC). This demonstrates a continuous and willful violation of environmental regulations.

II. KEY ISSUES AND ONGOING VIOLATIONS BY MPCC:

The operation of the CBWTF by MPCC is fraught with illegalities and blatant violations of environmental laws. The following points highlight the key issues:

- **Violation of EIA Notification, 2006 and Non-Compliance Penalties:** The Environment Impact Assessment (EIA) Notification of 2006 mandates that designated projects must obtain a prior Environmental Clearance (EC) *before* any construction work or installation of machinery begins. The MPCC has flagrantly violated this by establishing and operating its unit, including a second incinerator, without the requisite prior EC.
    - Such a violation is an offence under **Section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986**. This section prescribes a penalty of **imprisonment for a term which may extend to five years, or a fine which may extend to one lakh rupees, or both**.
    - If the failure or contravention continues beyond a period of one year after the date of conviction, the offender is punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years.

  A True copy of the UPPCB Regional Officer Report showing that the MPCC and installed one more incinerator beside the existing one is annexed herewith and marked as **Annexure A-1.**

AMRESH Singh

- **Lack of Legal Land Possession:** The land in question (Plot No. D-33, UPSIDC Khalilabad) was originally allotted to M/s Rani Sati Food Products on 31.07.2006.

  A true copy of the possession letter is annexed herewith and marked as **Annexure A-2**.

  While a transfer was made to Mr. Vinay Kumar Verma (Secretary of MPCC) on 04.08.2008, it was conditional upon the execution of a new lease deed, which has not been done to date[3].

  A true copy of the transfer letter is annexed herewith and marked as **Annexure A-3**.

  Without a registered lease deed, the possession of UPSIDC land is illegal.

- **Absence of a Valid No Objection Certificate (NOC) and Consent to Establish (CTE):** The MPCC has been operating without a valid NOC or CTE in its name since 2012. The original NOC was granted to M/s SNG Mercantile Pvt. Ltd. on 22.02.2008.

  A true copy of the NOC is annexed herewith and marked as **Annexure A-4**.

  This NOC contained a specific condition that any change would require a fresh NOC[9]. The MPCC, being a separate entity, has never obtained a fresh NOC in its name.

  (उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। नं0 13– इनसिनिरेटर क्षमता 200 कि0ग्रा0/ प्रति घंटा)

- **Unauthorized Change in Incinerator Capacity:** The NOC granted to M/s SNG Mercantile Pvt. Ltd. was for an incinerator with a capacity of 200 kg/hour. However, the consent to operate granted to MPCC is for a capacity of only 100 kg/hour. This constitutes a significant change that necessitates a fresh NOC, as per Condition No. 1 of the original NOC (refer to **Annexure A-4**).

- **Illegal Operation and Environmental Violations:** The MPCC has been operating its CBWTF unit illegally since 2008, resulting in numerous environmental violations. This includes the dumping of approximately 15 trucks of bio-medical waste in a nearby village, which has been lying there since 2022.

AMRESH Singh

A True copy of the RO UPPCB Letter confirming the above facts is annexed herewith and marked as **Annexure A-5**

- **Concealment of Facts by UPPCB:** The UPPCB has failed to disclose that the MPCC applied for an Environmental Clearance (EC) on 28.12.2021, which is still pending due to incomplete documentation.

  A true copy of the EC application status is annexed herewith and marked as **Annexure A-6**.

  Furthermore, the UPPCB has not disclosed that the MPCC established and operated a second incinerator for approximately two years without a valid EC.

- **Misleading Information:**

  A. The UPPCB has annexed CPCB guidelines from 2003 to justify the operations of the MPCC, whereas the currently applicable guidelines are from 2016. This is a clear attempt to mislead this Hon'ble Tribunal.

  B. The Reply Submitted by the MPCC on dated 02/07/2025 and uploaded on NGT website on dated 02/07/2025. Which contains an affidavit from Mr. Rajesh Kumar who has filed an complaint on the Jan Sunwai Portal regarding the illegal Bio Medical Waste dump in his land by MPCC (Respondent No 5) on dated 17-12-2024. But in the affidavit Mr. Rajesh Kumar has mentioned that he was forced to do so. But as per the RO UPPCB report Mr. Rajesh Kumar was present at the time of the inspection and also disclosed the location of waste dumped (Please refer to **Annexure A-5**). Which clearly shows that both MPCC and Mr. Rajesh Kumar are misleading this Hon'ble Tribunal

PRAYER

In light of the aforementioned facts, circumstances, and the consistent history of non-compliance by the MPCC, it is humbly prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to:

a) Order the immediate closure of the CBWTF unit operated by M/s Medical Pollution Control Committee (MPCC) at Plot No. D-33, UPSIDC, Khalilabad, until the final disposal of this case.

AMRESH Singh

b) Impose a heavy cost on the MPCC for the unlawful disposal of bio-medical waste in the nearby area and for its continuous and willful violations of environmental laws.

c) Direct the concerned authorities to monitor the underground water in the nearby villages to assess the level of pollution.

d) Pass any other order(s) as this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the interest of justice and the environment.

Applicant

Date: 29-08-2025

Place: Lucknow

Amresh Singh

Amresh Singh
S/o Indresh Bahadur Singh
Vill – Kusmaur, Post – Gandhi Nagar,
Amhut, Basti, Uttar Pradesh-272001
Mob : 9554394196 | Adhaar No – 729008323266

Annexure A-1

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फैक्स : 05542—281440
Phone & Fax : 05542—281440

UPPCB उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BASTI

संदर्भ संख्या : 1410/ नि–402/(iii)/(बस्ती)/2023 दिनांक : 12.07.2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–6)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0–12 वी0, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः–मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी(एम0पी0सी0सी0), डी0–33, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, जनपद–संतकबीरनगर की निरीक्षण आख्या प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी(एम0पी0सी0सी0), डी0–33, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, जनपद–संतकबीरनगर का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 27.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि संस्था में नये इन्सीनरेटर व चिमनी की स्थापना कर क्षमता विस्तार किया जा रहा है। उक्त संस्था द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये जाने के संबंध में कोई सूचना नही दी गयी है और न ही राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त की गयी है। निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित प्रेषित है।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 12/7/2023
(डॉ0 टी0एन0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
ह/c

AMRESH Singh

मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी(एम0पी0सी0सी0), डी0 33, यू0पी0 एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर की स्थलीय निरीक्षण आख्या।

उक्त सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी(एम0पी0सी0सी0), डी0–33, यू0पी0 एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 27.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 संस्था संचालित पाया गया तथा श्री विजय सिंह यादव, प्लांट सुपरवाइजर संस्था प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. उक्त संस्था एक कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी है। निरीक्षण के समय उपस्थित संस्था प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचनानुसार सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 में जनपद–बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज एवं कुशीनगर में स्थापित हेल्थ केयर फैसिलिटीज से जनित बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेन्ट एवं डिस्पोजल हेतु संस्था से प्राप्त मेम्बरशिप एवं एग्रीमेन्ट के अनुसार बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेन्ट एवं डिस्पोजल किया जाता है।
2. उक्त सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 मे बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेन्ट एवं डिस्पोजल फैसिलिटीज के अन्तर्गत डबल चैम्बर्ड इन्सीनरेटर–1अदद, आटोक्लेव–1अदद एवं श्रेडर–1अदद की व्यवस्था स्थापित है। संस्था में इन्सीनरेटर क्षमता–100किग्रा0/घंटा, आटोक्लेव की क्षमता–500लीटर/बैच एवं श्रेडर की क्षमता–50किग्रा0/घंटा है।
3. उक्त संस्था में स्थापित डबल चैम्बर्ड इन्सीनरेटर में सेमी आटोमेटिक फीडिंग की व्यवस्था की गयी है, किन्तु सेमी आटोमेटिक फीडिंग की व्यवस्था निरीक्षण के समय कार्यरत नहीं पायी गयी तथा बायोमेडिकल वेस्ट की फीडिंग मैनुअली किया जा रहा था। निरीक्षण के समय प्राइमरी चैम्बर का तापक्रम 958°C एवं सेकण्डरी चैम्बर का तापक्रम 1144°C पाया गया।
4. संस्था में स्थापित डबल चैम्बर्ड इन्सीनरेटर से जनित गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में वेन्चुरी स्क्रबर एवं भू–तल से लगभग 30मीटर ऊँची चिमनी की व्यवस्था स्थापित है।
5. संस्था में स्थापित इन्सीनरेटर के प्राइमरी एवं सेकेण्डरी चैम्बर में तापमान के मापन हेतु व्यवस्था की गयी है। कन्ट्रोल पैनल पर तापमान, इमीशन मानीटरिंग(CO & CO2), फ्लो रेट मापन की व्यवस्था है।
6. संस्था में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रयोजन में संस्था परिसर के फर्श की धुलाई, वेन्चुरी स्क्रबर एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की धुलाई में की जाती है। घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप जनित बहिश्राव के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था स्थापित है।
7. संस्था में औद्योगिक प्रयोजन के फलस्वरूप जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की व्यवस्था स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाईयां निम्नवत् है:–

   i. बार स्क्रीन
   ii. ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप
   iii. इक्वलाइजेशन टैंक
   iv. केमिकल डोजिंग कम मिक्सिंग टैंक
   v. फ्लाकुलेशन टैंक
   vi. क्लेयरीफायर
   vii. सुपरनेटेन्ट टैंक
   viii. ड्यूअल मीडिया फिल्टर
   ix. एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर
   x. ट्रीटेड वाटर टैंक
   xi. डिस्इंफेक्शन यूनिट
   xii. स्लज ड्राइंग बेड्स

AMRESH Singh

निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की उक्त सभी इकाईयां कार्यरत पायी गयी। ई0टी0पी0 के इनलेट एवं आउटलेट पर उत्प्रवाह की मात्रा के मापन हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर निरीक्षण के समय स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 के इनलेट एवं आउटलेट से उत्प्रवाह के नमूनो का एकत्रण कर विश्लेषण हेतु केन्द्रीय प्रयोगशाला, लखनऊ में जमा कराया गया है। विश्लेषण आख्या अपेक्षित है।

8. इन्सीनरेटर ऐश एवं ई0टी0पी0 स्लज के समुचित एवं सुरक्षित निस्तारण हेतु संस्था द्वारा मेसर्स भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेन्ट लि0(टी0एस0डी0एफ0), ग्राम–कुम्वी, तहसील–अकबरपुर, कानपुर देहात से सदस्यता प्राप्त किया गया है।
9. संस्था में स्थापित श्रेडर से जनित श्रेडेड ट्रीटेड प्लास्टिक वेस्ट को मेसर्स सीताराम प्लास्टिक, भावना, इण्डस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली को रिसाइकिलिंग हेतु भेजा जाता है।
10. निरीक्षण के समय परिसर में एक अदद नया डबल चैम्बर इन्सीनरेटर स्थापित किया हुआ पाया गया, इन्सीनरेटर से संबद्ध नई चिमनी स्थापित पायी गयी। संस्था में नये इन्सीनरेटर व चिमनी की स्थापना से यह लगता है कि संस्था द्वारा क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। उक्त संस्था द्वारा क्षमता विस्तार किये जाने से पूर्व पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति किये जाने के संबंध में कोई सूचना नही दी गयी है और न ही राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त की गयी है। उद्योग द्वारा किंया रहा उक्त कार्य असंवैधानिक है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में उद्योग के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

12/7/2023 — 12-7-23

(पराशर कुमार पाण्डेय)
प्रयोगशाला सहायक

(अरूण कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक सहायक

12/7/23

क्षेत्रीय अधिकारी

Amresh Singh

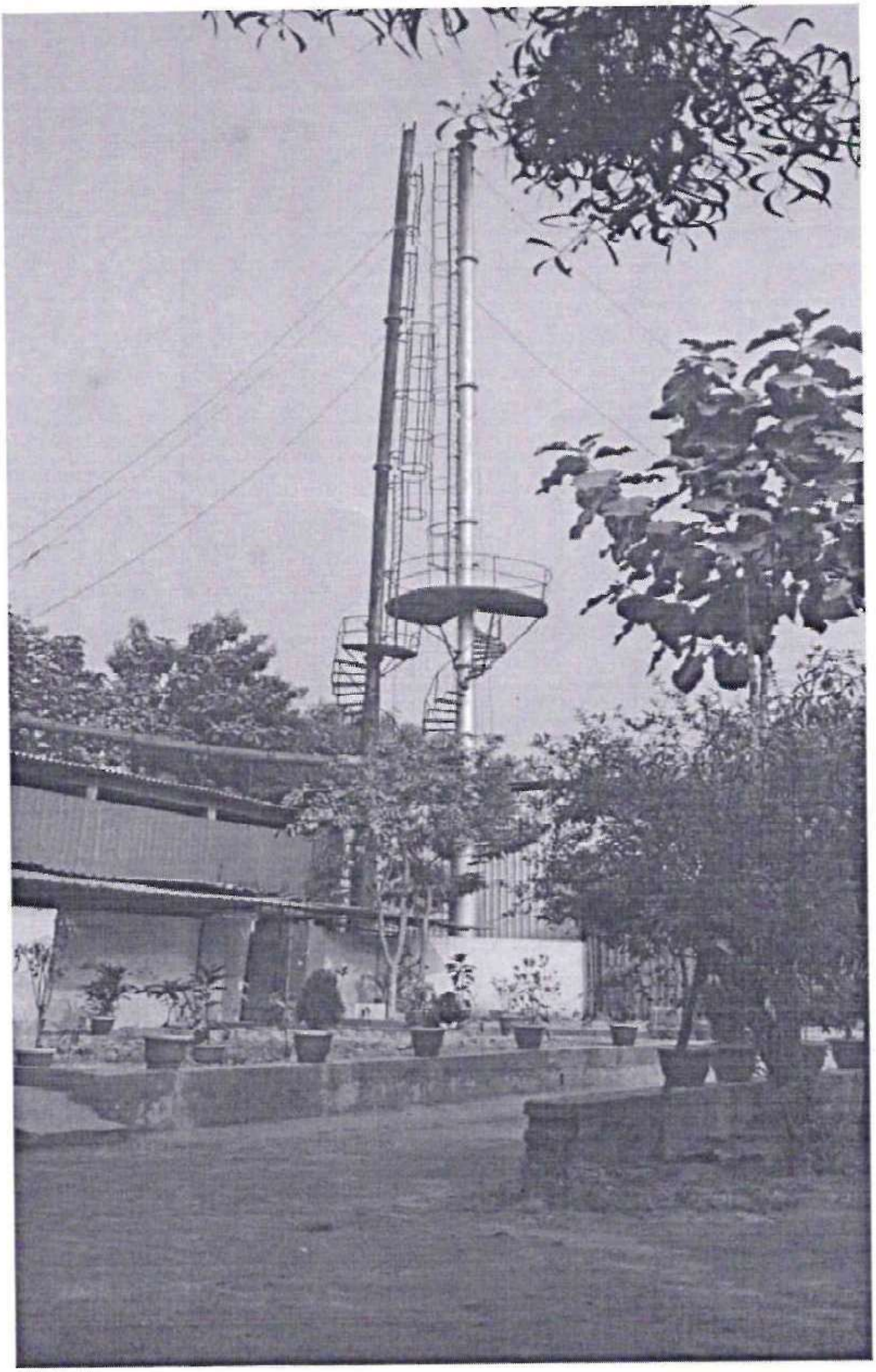

Amresh Singh

Annexure A-2

upsidc Website : www.upsidcltd.com

U. P. State Industrial Development Corporation Ltd.

Regional Office : Gorakhpur

POSSESSION MEMO

Certified that the plot / ~~shed~~ No. D-33 situated in Industrial Area .... details whereof are given below has been transferred today viz. 31/7/06 at 4:00 ~~A.M.~~/P.M. by the U. P. State Industrial Development Corporation Ltd. to M/S Rani Sati Food Products C/o Sri Atul Kr. Tulsyan Sri Arup Kr. Tulsyan Khujanipur Distt (Gkp) Licencee/Lessee/Purchaser after preuse demarcation. *Plot is lying vacant/There are construction etc. on the plot.

Dimensions and boundaries of the land

Lay out of the transferred land.

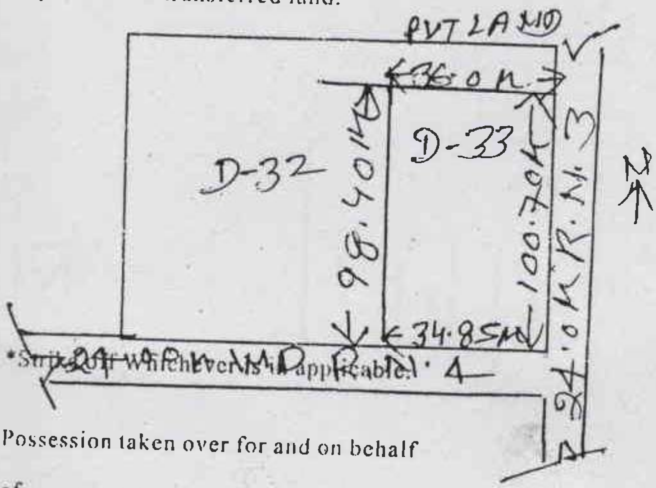

*Strip ... which ever is applicable.

Details of building, fixtures etc. if any with measurements and approximate value of each items.

Construction

*(As per Inventory attached)

Area of land 3526.58 Sq. Mtrs.

Possession taken over for and on behalf of........................

1. Anoop Tulsyan
2. ....
3. ....

Designation / Status

Possession handed over for and on behalf of U. P. S. I. D. C. Ltd.

....

....

[signature]

Junior Engineer / ~~Surveyor~~

Dated : 31/7/06

Witness :

1. [signature]
2. Abhishek

Witness :

1. [signature]
2. [signature]

No......................../SIDC/RO /........................ Dated........................

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. Chief Manager (IA) U. P. S. I. D. C. Ltd., Kanpur.
2. Executive Engineer U. P. S. I. D. C. Ltd., ...
3. R.M. U.P.S.I.D.C. (Gkp)

AMRESH Singh

Asstt. Manager / Dy. Manager

Annexure A-3

...देश स्टेट इण्डस्ट्रियल
...मेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

upsidc

क्षेत्रीय कार्यालय
एस.ए.आई. काम्पलेक्स
सीपी-25, कोर्ट वार्ड
मुन्शी प्रेम चन्द के पीछे
बेतिया हाता, गोरखपुर।
Phone : 2333337

Website : ww.upsidc.com

M/s Ram Sati Food Products.
Sri Atul Kumar Tulsyan. Sri Anup Kumar Tulsyan (Partner)
21 Tulsyan Bhawan. Khunipur.
District- Gorakhpur. .

पत्रांक : /एसआईडीसी/

दिनांक :

Sub:- Regarding Transfer of Plot No **D-33** Indl. Area **Khalilabad** .

Dear Sir.

This is in reference to your letter dated 16.05.08 regarding Transfer of above noted in favour of **Dr. Vinay Kumar Verma (Prop.)** for setting up a unit for production of **Biomedical Waste Treatment.** Product on above plot .

In this connection. we are pleased to permit above transfer subject to payment of transfer levy @ **22.50** per sq.mt. on Area **3526.58** sqmt. amounting to **Rs.79,348.05 Payable** within 30 days from the date of this letter subject to the following terms & conditions.

1 The balance amount towards premium, interest. lease rent & Maintenance Charge amounting **Rs. 5421/-** shall be paid by you within 30 days from date of this letter. In case of non payment within stipulated time. the interest @ 15% per annum shall be payable to the corporation.

2 The Transferee shall be treated as fresh allottee of the above plot and a fresh lease deed will be executed by the transferee on new terms & conditions within 60 days from the date of this letter positively.

3 The Maintenance Charges as applicable from time to time shall be payable by the transferee..

4 The transferee shall be liable to pay lease rent @ 10,000/- per hectare per year during the first twenty three years. Rs. 25,000 - per hectare per year during the next thirty years. and Rs. 50,000 - per hectare per year during the next thirty years .

5 Any reconstitution without prior approval in writing of the Corporation shall result in automatic cancellation of Transfer/ Allotment

6 That while crediting the deposits made by you. in the same will be adjusted first towards interest and use and occupation charges/ lease rent up to date of payments and balance if any towards premium.

7 That you will submit the affidavit to the effect that entire assets /structures whatsoever have been transferred in favour of **Dr. Vinay Kumar Verma S/o Sri Raja Ram Verma** and that you will never claim any amount /compensations etc. in this regard from this corporation. The transferee will also have to submit an affidavit in conformation of transfer of all assets/ structures in their favour with the clear stipulation that in the event of any dispute in connection with transfer UPSIDC shall not be responsible/ liable for any dispute/ claim litigation arising out of above transfer which have been applied for after mutual and between transfer and transferee.

Amresh Singh

Medical Pollution Control Committee
D-33, UPSIDC, Industrial Area
Khalilabad, Santkabir Nagar,Gorakhpur

(2)

8 The existing lease deeds/ agreement executed on dated 30.03.06 will be surrendered by you alongwith with the possession of above noted plot before execution of fresh lease deed in favour of the tranferee.

9 The transferee will submit definite time bound programme for completion of the construction and implementation of their Project on the aforesaid plot not exceeding one Year.

10. That all the terms & conditions contained in Allotment letter No.1727-29/SIDC/RM/GKP .D-33/KLD/.Dated 30.08.01 will be binding upon the transferee.

11 That the transferee will have to adopt Rain Water Harvesting system compulsorily in their Factory building to be constructed on the plot aforesaid, otherwise Allotment/transfer of above plot shall be cancelled.

12. The transferee will mention the postal address of their correspondence letter invariably to the Corporation..

13. Lease period will be allowed to the transferee for the remaining period of plot as per Allotment letter dt 30.08.01.

14. Time Extension Fees (T.E.F) for the extension of time beyond two years for bringing unit into production shall be charged on payment of (T.E.F) as per rules of the Corporation.

15. The Transferee shall have to submit " No Objection Certificate" from the Pollution Control Board to this office within 30 days of the issue of this letter.

Please confirm in writing within 7 days from the date of this letter, if the above terms & conditions acceptable to you, failing which above transfer automatically shall be withdraw.

Your's faithfully.
For U.P.STATE INDL. DEV.CORPN.LTD.

REGIONAL MANAGER

Reference No. 809 /SIDC/RO RGK. / IA Khalilabad.Plot NoD-33 .Date 04/08/08
Copy. to :-

1 Dr. Ravi Kumar Verma S/o Sri Raja Ram Verma, 21- Block, E, Kalpi Road, Panki- Kanpur.
2 Chief Manager (I.A) UPSIDC Lakhanpur,Kanpur, for information..

REGIONAL MANAGER

AMRESH Singh

प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F 29001/सी-६/एन०ओ०सी०/४०/जीकेपी दिनांक 22-2-08

सेवा में,

मे0 एस०एन०जी० मर्केन्टाइल प्रा०लि०,
बी-३३, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, खलीलाबाद,
सन्त कबीर नगर(यू०पी०)

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से /नई इकाई की स्थापना हेतु/ कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार /संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक २३.०१.२००८ का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल : बी-३३, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, खलीलाबाद, सन्त कबीर नगर।

(ख) उत्पादन : अस्पतालों में जनित जैव चिकित्सा अपशिष्टों के समुचित शुद्धिकरण व निस्तारण हेतु सामूहिक उपचार व्यवस्था की स्थापना जैसे इनसिनिरेटर, माइक्रोवेव श्रेडर, सेग्रीगेशन, तरल शुद्धिकरण संयंत्र आदि दिये गये प्रस्ताव के अनुसार।

Amresh Singh

(ग) मुख्य कच्चे माल :.................. जैव चिकित्सा अपशिष्ट ....

....

....

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा :.............. शून्य ....

....

घरेलू- १० ली०/घंटा

....

(ड.) प्रयुक्त ईंधन :.................. डीजल- ५० ली०/दिन ....

....

....

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

AMRESH Singh

घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ......१० ली०/घं.. से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ......एक माह.................................... तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

उद्योग में रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किये जाने का प्रयास किया जाये।

उद्योग परिसर के कुल क्षेत्रफल का २० प्रतिशत भाग में हरित पट्टिका/वृक्षारोपण कराया जाना अनिवार्य है।

९- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइड लाइन तथा अन्य दिशा निर्देशों के अनुरूप सी०बी०डब्लू०टी०एफ० की अनलोडिंग, सेग्रीगेशन, भण्डारण, इनसिनिरेटर, माइक्रोवेव, श्रेडर, डीप बरियल आदि चरणबद्ध स्थापित किये जायें।

१०- जल एवं वायु उत्सर्जन नियंत्रण मानकों के अनुरूप रखने की पुष्टि हेतु मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट ट्रायल से संचालन के दो माह में प्रस्तुत करनी अनिवार्य है।

११- बोर्ड से नियमानुसार प्राधिकार प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

१२- बायो मेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेन्ट एवं हैण्डलिंग तथा डिस्पोजल हेतु बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान प्रेषित किया गया है।

१३- इनसिनिरेटर क्षमता २०० कि०ग्रा०/घंटा डबल चैम्बरयुक्त स्थापित किया जाये तथा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में वेन्चुरी स्क्रबर व वाटर स्क्रबर सहित भूतल से ३० मीटर ऊँची चिमनी इस प्रकार से स्थापित किया जाये कि वायु उत्सर्जन प्रत्येक दशा में मानकों के अन्तर्गत रहे तथा वायु उत्सर्जन के मानिटरिंग हेतु समुचित मानिटरिंग व्यवस्था की जाये। विस्तृत डिजाइन-डिटेल्स व प्रस्ताव १५ दिन में प्रेषित किया जाये।

१४- डीप बरियल व परिसर में सालिड वेस्ट हैण्डलिंग का पूर्ण विवरण एक माह में प्रेषित किया जाये।

१५- दिये गये प्रस्ताव के अनुरूप उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना की जाये।

१६- डी०जी० सेट हेतु एकास्टिक इनक्लोजर सहित समुचित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

१७- सामूहिक उपचार व्यवस्था से आस-पास के संवेदनशील क्षेत्रों में पड़ने वाले पर्यावरणीय अभिप्रभाव का सामयिक ऑकलन एवं प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एक माह में प्रेषित किया जाये।

१८- पचास हजार रुपये की बैंक गारन्टी बोर्ड के पक्ष में एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा किसी भी कार्यवाही का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के स्वयं का होगा।

१९- इनसिनिरेटर से निकलने वाले ऐश का उचित निस्तारण किया जाय।

Amresh Singh

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एंव सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ....माह..माह.............................. तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

(डा० सी०एस०. भट्ट)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र :...............गोरखपुर...............

2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :...........गोरखपुर...........

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त.......................)

AMRESH Singh

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फैक्स : 05542–281440
Phone & Fax : 05542–281440

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BASTI

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्या : 766/सा0-15/शिका0/2025 दिनांक : 20/02/2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0–12,वी0 विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः–ग्राम–बनकटवा में मेसर्स एम0पी0सी0सी0(डी0–33 इण्डस्ट्रियल एरिया) खलीलाबाद, संतकबीर नगर द्वारा सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट के गाड़े जाने के संबंध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–एच024089/वृत्त–6/सा0–5ए0/शिकायत/बस्ती/2025 दिनांक–13.02.2025 एवं पत्र सं0–एच023887/वृत्त–6/सा05/शिकायत/बस्ती/2025 दिनांक –07.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मेसर्स मेडिकल पाल्यूशन कंट्रोल कमेटी, डी0–33 इण्डस्ट्रियल एरिया, खलीलाबाद, संतकबीर नगर के विरूद्ध श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामधनी ग्राम–बनकटवा, संतकबीर नगर द्वारा की गयी शिकायत के संदर्भ में शिकायती स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किया गया है। निरीक्षण आख्या मूल रूप में संलग्न कर इकाई के विरूद्ध बायोमेडिकल वेस्ट मैनजमेण्ट रूल्स 2016, में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस प्रेषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(प्रखर कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

Amresh Singh

मेसर्स मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,(डी0–33 इण्डस्ट्रियल एरिया) खलीलाबाद, जनपद–संतकबीर नगर के विरूद्ध राजेश कुमार पुत्र श्री रामधनी ग्राम–बनकटवां, पोस्ट–बेलौली, जनपद–संतकबीर नगर द्वारा प्राप्त शिकायत के सन्दर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्या।

781

मेसर्स मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,(डी0–33 इण्डस्ट्रियल एरिया) खलीलाबाद, जनपद–संतकबीर नगर के विरूद्ध राजेश कुमार पुत्र श्री रामधनी ग्राम–बनकटवां, पोस्ट–बेलौली, जनपद–संतकबीर नगर द्वारा शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है। शिकायत के सन्दर्भ में दिनांक–19.12.2024 एवं पुनः दिनांक–10.02.2025 को शिकायती स्थल का निरीक्षण किया गया। शिकायती स्थल, ग्राम–बेलौली, पोस्ट–बेलौली, थाना–खलीलाबाद, तहसील–खलीलाबाद, जनपद–संतकबीर नगर में स्थित है। निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्री राजेश कुमार उपस्थित थे। उक्त शिकायती स्थल का जिओ को–आर्डिनेट लैटीट्यूड–26.717665 व लॉगीट्यूड–83.074389 है। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. उक्त शिकायती स्थल के चारों दिशाओं की स्थिति निम्नवत् है–
   - I. पूरब दिशा में लगभग 1.0कि0मी0 की दूरी तक कृषि योग्य भूमि स्थित है।
   - II. पश्चिम दिशा में लगभग 600मी0 की दूरी पर वरदा पब्लिक स्कूल स्थित है।
   - III. उत्तर दिशा में लगभग 650मी0 की दूरी पर ग्राम–दरूआ जापती स्थित है।
   - IV. दक्षिण दिशा में लगभग 600मी0 की दूरी पर ग्राम–बंजरीपुर स्थित है।
   - V. उत्तर पूरब दिशा में लगभग 300मी0 की दूरी पर बाबा रजित रामपत इण्टर कॉलेज स्थित है।
2. शिकायत कर्ता द्वारा दिये गये लोकेशन पर पहुँचकर निरीक्षण किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,(डी0–33 इण्डस्ट्रियल एरिया) खलीलाबाद, जनपद–संतकबीर नगर के मैनेजर श्री अजय पटेल द्वारा उनकी सहमति से लगभग 8 से 10 डम्पर बायोमेडिकल वेस्ट लैण्ड फिलिंग हेतु डलवाया गया था। संस्था के मैनेजर द्वारा यह कहा गया था कि यह वेस्ट कुछ समय में गल जायेगा। निरीक्षण के समय स्थल पर बायोमेडिकल वेस्ट के उपर मिट्टी डाला हुआ पाया गया। शिकायतकर्ता की उपस्थिति में मिट्टी की खुदाई की गयी, मिट्टी के खुदाई के दौरान जमीन के अन्दर जीव चिकित्सा अपशिष्ट काफी मात्रा में डाला गया पाया गया खुदाई के समय पाये गए वेस्ट से दुर्गंध भी आ रही थी। खुदाई के समय स्थल के नीचे चिकित्सा हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले इंजेक्शन, निडिल, मास्क, ग्लब्स, ग्लूकोज बाटल, ग्लूकोज पाईप, दवा की शीशी, ब्लड सैम्पल में प्रयुक्त होने वाले ट्यूब, कोविड किट आदि काली पॉलीथीन बैग में भरे हुये पाये गये, जो बायोमेडिकल वेस्ट की श्रेणी में आता है।
3. शिकायती स्थल से जीव चिकित्सा अपशिष्ट संस्था मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,(डी0–33 इण्डस्ट्रियल एरिया) खलीलाबाद, जनपद–संतकबीर नगर लगभग 7कि0मी0 पर स्थित है। जनपद–संतकबीर नगर में तथा 75कि0मी0 की परिधि में अन्य कोई सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 संस्था स्थापित नहीं है। खुदाई के उपरान्त डम्प पाया गया बायोमेडिकल वेस्ट प्रथम दृष्टया मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,(डी0–33 इण्डस्ट्रियल एरिया) खलीलाबाद, जनपद–संतकबीर नगर द्वारा डाला जाना सम्भावित है।

AMRESH Singh

5. मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,(सी0-32 इण्डस्ट्रियल एरिया) खलीलाबाद, जनपद–संतक नगर शिकायत के तथ्यों के दृष्टीगत इस कार्यालय के पत्र सं0–644 / सा0–160 / आई0एम0एस0 / 2024 दिनांक–20.12.2024 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था। उक्त इकाई के द्वारा प्रेषित नोटिस का प्रतिउत्तर दिनांक–26.12.2024 जो क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक–30.12.2024 को प्राप्त हुआ है। नोटिस तथा इकाई द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर की छायाप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त संस्था (सी0बी0डब्ल्यु0टी0एफ0) को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ अवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

20/2/2025	20/02/2025	20-2-2025
पराशर कुमार पाण्डेय	नीतीश कुमार समदर्शी	अरूण कुमार श्रीवास्तव
(प्रयोगशाला सहायक)	(अवर अभियंता)	(वैज्ञानिक सहायक)

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

20/2/25

Amresh Singh

783

AMRESH Singh

PARIVESH
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

784

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

Project Name:	Expansion of existing Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) by M/s Medical Pollution Control Committee	**Single Window Number:**	SW/126883/2023
		Proposal Number: SIA/UP/INFRA2/426954/2023	
State:	UTTAR PRADESH	**Current Status:**	SUBMITTED
Submission Date:	10/06/2023	**Project Category:**	B1
Sector:	INFRA2	**Proposal For:**	Fresh EC
Project Proponent Name:	Medical Pollution Control Committee-mpcc		

Back

View Agenda View MoM

AMRESH Singh